

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय,

चतुर्थ/पंचम तल, इन्दिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ-226001

पत्र संख्या-एफएस/2016/24230/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2129/जेडी

दिनांक: सितम्बर 26, 2016

सेवा मे,

अधिशाली अभियन्ता (हा0/इंटी0सेल)

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

विपिनखण्ड, गोमतीनगर,

लखनऊ।

विषय:-

भूखण्ड संख्या-2 ग्राम-बाघामऊ, गोमतीनगर विस्तार, जिला-लखनऊ मे मेसर्स एएनएस डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप मे प्रस्तावित संशोधित समूह आवास (324 फ्लैट) की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यूआईडी नम्बर-2016/24230/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2129/जेडी दिनांक-02.09.16

\*\*\*\*\*

कृपया अपने पत्र संख्या-317/इ.इ./एचटीआईडी/2016 दिनांक-27.07.16 तथा आप द्वारा फायर सर्विस वेवसाइट पर अपलोड टिकट नम्बर-2016/24230/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2129/जेडी दिनांक-02.09.16 के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन के मानचित्र मे प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं अभिलेखो का भौतिक परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर की आख्या दिनांक-12.09.16, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ की आख्या दिनांक-15.09.16 एवं उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद की आख्या दिनांक-23.09.16 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया जो निम्नवत है-

भवन की संरचना:-1-कुल भूखण्ड एरिया-

14221.810 वर्गमीटर।

ब्लाक-ए

टावर-1

- भूतल का कवर्ड एरिया- 755.369 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 21 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 729.184 वर्गमीटर।

ब्लाक-बी

टावर-1

- भूतल का कवर्ड एरिया- 445.374 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 14 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 433.050 वर्गमीटर।

टावर-2

- भूतल का कवर्ड एरिया- 445.374 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 14 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 433.050 वर्गमीटर।

ब्लाक-सी

टावर-1

- भूतल का कवर्ड एरिया- 550.282 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 14 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 541.416 वर्गमीटर।

2-वेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-

11076.600 वर्गमीटर।

3-भवन के ब्लाक-ए की ऊँचाई-66.150 मीटर व ब्लाक-बी व सी प्रत्येक की ऊँचाई-45.250 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की समूह आवास श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(2)

ढाँचागत व्यवस्था -

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र में 24.00 मी० रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई-भवन के मानचित्र में प्रवेश व निकास द्वार की चौड़ाई-09.00 मी० है, जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक- भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत हैं-

- अग्रभाग- 16.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम- 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय- 16.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सेटबैक भवन एन०बी०सी० के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिंग एनवलप से बाहर है इस लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत की लोडवियरिंग क्षमता 45 टन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4-निकास मार्ग-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई 01.50 मीटर प्राविधानित किया गया है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से टेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं-

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण-प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्रस्तावित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1-भूमिगत टैंक-भूमिगत टैंक-200000 ली० क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।

2-पम्प-भूमिगत टैंक के पास एक हाइड्रेंट पम्प 2850 एलपीएम एक स्प्रिंकलर पम्प 2850 एलपीएम एक डीजल चालित पम्प 2850 एलपीएम एक जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है। बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन हेतु अलग से फायर पम्प का स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

3-होजरील-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई०एस०-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित हैं।

4-वेटराइजर-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन०बी०सी०-2005 के मानको के अनुरूप प्राविधानित है।

5-यार्ड हाइड्रेंट्स-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेंट्स होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई०एस० 01339:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

6-हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम-प्रत्येक टावर में मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार कराया जाना प्राविधानित है।

7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम-भवन के प्रत्येक टावर में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार किया जाना प्राविधानित है।

8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-बेसमेंट व ब्लॉक-ए टावर में प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।

9-टेरिस टैंक-भवन प्रत्येक टावर के टेरिस पर टेरिस टैंक-10000 ली० क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10-टेरिस पम्प-आवश्यक नहीं है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)-भवन के प्रत्येक टावर में फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार प्राविधानित है।

12-स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम-बेसमेन्ट में वेन्टीलेशन हेतु स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम एनबीसी मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

(3)

13-एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किये गये हैं।

14-पीओएसिस्टम-सम्पूर्ण भवन में पीओएसिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार भूखण्ड नं०-02 ग्राम-बाधामऊ, गोमतीनगर विस्तार, जिला-लखनऊ में मेसर्स एएनएस डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप में प्रस्तावित संशोधित समूह आवास (324 फ्लैट) भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है। कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।  
संलग्नक-अनुमोदित मानचित्र

(आर०के० सिंह)

संयुक्त निदेशक (पी०),

फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र०

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

दिनांक 26/9/16

प्रतिलिपि-

1-उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय,

चतुर्थ/पंचम तल, इन्दिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ-226001

पत्र संख्या-एफएस/2016/24238/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2131/जेडी

दिनांक: सितम्बर 26, 2016

सेवा मे,

अधिशाली अभियन्ता (हा0/इंटी0सेल)

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

विपिनखण्ड, गोमतीनगर,

लखनऊ।

विषय:- भूखण्ड संख्या-1 ग्राम-बाघामऊ, गोमतीनगर विस्तार, जिला-लखनऊ मे मेसर्स एएनएस डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप मे प्रस्तावित संशोधित समूह आवास (452 फ्लैट) की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।  
यूआईडी नम्बर-2016/24238/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2131/जेडी दिनांक-02.09.16

.....

कृपया अपने पत्र संख्या-316/इ.इ./एचटीआईजी/2016 दिनांक-27.07.16 तथा आप द्वारा फायर सर्विस वेवसाइट पर अपलोड टिकट नम्बर-2016/24238/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2131/जेडी दिनांक-02.09.16 के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन के मानचित्र मे प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं अभिलेखो का भौतिक परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर की आख्या दिनांक-12.09.16, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ की आख्या दिनांक-15.09.16 एवं उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद की आख्या दिनांक-23.09.16 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया जो निम्नवत है  
भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया- 21583.730 वर्गमीटर।

टावर-1

- भूतल का कवर्ड एरिया- 579.848 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया- 557.16 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 17 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 555.936 वर्गमीटर।
- 18 वें तल का कवर्ड एरिया- 555.94 वर्गमीटर।

टावर-2

- भूतल का कवर्ड एरिया- 579.848 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया- 557.16 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 17 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 555.936 वर्गमीटर।
- 18 वें तल का कवर्ड एरिया- 555.94 वर्गमीटर।

टावर-3

- भूतल का कवर्ड एरिया- 579.848 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया- 557.16 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 17 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 555.936 वर्गमीटर।
- 18 वें तल का कवर्ड एरिया- 555.94 वर्गमीटर।

  
[Illegible text]

(2)

टावर-4

- भूतल का कवर्ड एरिया- 579.848 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया- 557.16 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 17 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 555.936 वर्गमीटर।
- 18 वें तल का कवर्ड एरिया- 555.94 वर्गमीटर।

टावर-5

- भूतल का कवर्ड एरिया- 443.675 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया- 408.625 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 06 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 410.285 वर्गमीटर।
- 07 वें तल से 16 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 409.836 वर्गमीटर।
- 17 वें व 18 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 411.474 वर्गमीटर।

टावर-6

- भूतल का कवर्ड एरिया- 443.675 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कवर्ड एरिया- 408.625 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 06 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 410.285 वर्गमीटर।
- 07 वें तल से 16 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 409.836 वर्गमीटर।
- 17 वें व 18 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया- 411.474 वर्गमीटर।

2-बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-

16991.36 वर्गमीटर।

3-भवन के प्रत्येक टावर की ऊँचाई-58.00 मीटर प्राविधानित है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की समूह आवास श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था -

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र में 24.00 मी0 रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई-भवन के मानचित्र में प्रवेश व निकास द्वार की चौड़ाई-09.00 मी0 है, जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक-भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत हैं-

- अग्रभाग- 16.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम- 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय- 16.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिंग एनवलप से बाहर है इस लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत की लोडवियरिंग क्षमता 45 टन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4-निकास मार्ग-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई 01.50 मीटर प्राविधानित किया गया है। जिनकी पल्लो के समस्त स्थानों से टेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं-

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण-प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्रस्तावित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

(3)

- 1-भूमिगत टैंक-भूमिगत टैंक-200000 ली0 क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।
- 2-पम्प-भूमिगत टैंक के पास एक हाइड्रेंट पम्प 2850 एलपीएम एक स्प्रिंकलर पम्प 2850 एलपीएम एक डीजल चालित पम्प 2850 एलपीएम एक जौकी पम्प 280 एलपीएम क्षमता का स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन हेतु अलग से फायर पम्प का स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।
- 3-होजरील-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित हैं।
- 4-वेटराइजर-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानको के अनुरूप प्राविधानित है।
- 5-यार्ड हाइड्रेंटस्-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेंटस होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 6-हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम-प्रत्येक टावर में मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार कराया जाना प्राविधानित है।
- 7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम-भवन के प्रत्येक टावर में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार किया जाना प्राविधानित है।
- 8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-बेसमेंट व प्रत्येक टावर के प्रत्येक तलों में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
- 9-टैरिस टैंक-भवन के प्रत्येक टावर के टैरिस पर टैरिस टैंक-10000 ली0 क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 10-टैरिस पम्प-आवश्यक नहीं है।
- 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)-भवन के प्रत्येक टावर में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है।
- 12-स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम-बेसमेन्ट में बेन्टीलेशन हेतु स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम एनबीसी मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 13-एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किये गये हैं।
- 14-पी0ए0सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार भूखण्ड नं0-01 ग्राम-बाधामऊ, गोमतीनगर विस्तार, जिला-लखनऊ में मेसर्स एएनएस डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप में प्रस्तावित संशोधित समूह आवास (452 फ्लैट) भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है। कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नक-अनुमोदित मानचित्र

  
26/9/16  
(आर0के0 सिंह)  
संयुक्त निदेशक (पी0),  
फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0  
लखनऊ।

प्रतिलिपि-

- 1-उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3-अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।